फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

रामकुमार वगैरा बनाम स्टेट व भागीरथ

अपील प्रकरण सं0 87/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
29.12.2017	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश 10.11.2016 व उसकी पालना में हुआ नामान्तकरण 21. 11.2016 साक्ष्य, विधिक प्रकिया ,विधिक प्रावधानों, प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों व न्यायिक सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत अवैद्य त्रुटीपूर्ण व गलत है। अगर दौराने अपील अपीलाधीन आदेश व इन्तकाल प्रभावशील रहते है तो अपील का मकसद ही खत्म हो जावेगा ओर अपीलांटस के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी जिससे होने वाला नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिये न्यायहित में अपीलाधीन ओदश व इन्तकाल की पालना अपील के निस्तारण तक स्थगित रखी जाकर रेस्पोडेन्ट भागीरथ को पाबन्द किया जावें कि वह विवादित रकबा चक 5 एम.एस. डी. के प.न. 155/339 मु.न. 10 वा पं0नं0 156/339 मु0नं0 11 की कुल 3.079 हैक्टर स्वंय या अन्य के माध्यम से किसी अन्य को किसी प्रकार से भी हस्तान्तरित से बाज व ममून रहे ओर मौका की स्थिति को यथावत रखा जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पृथमदृष्टया मागला अपीलान्ट के पक्ष में पाया। तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर द्वारा वसीयतन प्रकरण संख्या 50/2016 बअनवानी प्रार्थना पत्र भागीरथ में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2016 तथा उसकी पालना में स्वीकृत इन्तकाल संख्या 268 दिनांक 21.11.2016 जिसकी रूह से वाके चक 5 एम.एस. डी. के प. न. 155/339 मु.न. 10 वा पं0नं0 156/339 मु0नं0 11 की कुल 3.079 हैक्टर रेस्पोडेन्ट भागीरथ के नाम से मृतक खातेदार की कथित वसीयत दिनांक 17.07.1997 को वैद्य मानते हुए अमलदरामद कर स्वीकृत किया गया। अपीलार्थीगण मृतका अणची के नाती होने के नाते वसीयत के आधार चक 5 एम.एस. डी. के प.न. 155/339 मु.न. 10 वा पं0नं0 156/339 मु0नं0 11 की कुल 3.079 हैक्टर भूमि का किया गया नामान्तरण के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को सुना जाना न्यायसंगत था, जबकि उन्हें सुना नही गया जो न्यायसंगत नही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में बनता है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है क्योंकि अपीलाधीन नामातरकरण से मृतका अणची की हस्तांतरित भूमि में अपीलांटगन पृथमदृष्टया विरासतन तो अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होनी संभाव्य है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी 02 को आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वह विवादग्रस्त रकबा चक 5 एम.एस. डी. के प.न. 155/339 मु.न. 10 वा पं0नं0 156/339 मु0नं0 11 की कुल 3.079 हैक्टर तक रकबा का रहन/बैय /हस्तांतरण नहीं करेगे पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी दिनांक 15.01.2018 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	01.02 29/12

है। पत्रावली दिनांक 14/5/19 को पेश हो।

14/5/19

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी ......
है। पत्रावली दिनांक 16/7/19 को पेश हो।

16/7/19 अपीलार्थी अधिवक्ता अनु. बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है स्थगन अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/8/19 को पेश हो

21/8/19 अपीलार्थी अधिवक्ता स्थगन अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16/10/19 को पेश हो

16/10/19 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ राजकीय कार्यों से बाधित ~~कार्य में व्यस्त~~ है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 9/1/20 को पेश हो।

11.12.19 अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली आज की तारीख पेशी में ली जाकर प्रार्थीगण एवं रेस्पो० का राजीनामा होने के कारण अपील को आगे नहीं चलाना चाहकर प्रकरण को इसी स्टेज पर विड्रा किये जाने का निवेदन किया है। अतः अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपील विड्रा किये जाने के कारण अपील नोटप्रेस में खारिज की जाती है आदेश की प्रति मय रिकार्ड संबंधित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

रामेश्वरलाल
रामकुमार
Sihag Adv
11.12.19

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर